न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल, आर0ए0एस0

दावा सं.:—134 / 2012

1. किरनदेई पत्नि स्व0 नवलसिंह (मृतक)
2. बलवीर
3. विजयसिंह
4. पालसिंह

पिसरान स्व0 नवलसिंह जाति जाट निवासी तुहिया तहसील व जिला भरतपुर (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. चन्दू
2. बच्चू
3. हमवीर

पि0 कौशल जाति जाट निवासी ग्राम तुहिया तह0 भरतपुर

1. श्रीमति जनक खण्डेलवाल पत्नि रविशंकर जाति वैश्य निवासी नई मण्डी भरतपुर।
2. मेवा पुत्र भगवत जाति जाट निवासी ग्राम तुहिया
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार भरतपुर।
4. कढेरू पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम तुहिया तहसील व जिला भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955

निर्णय

दिनांकः—17.09.2018

वादीगण ने जारिये अभिभाषक उपस्थित होकर दिनांक 21.05.2004 को दावा तत्पश्चात् दिनांक 19.03.2013 को संशोधित दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्रस्तुत किया की वाके ग्राम तुहिया तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बरान 1836 / 0.32, 1743 / 0.26, 1232 / 0.01, 1233 / 0.24, 1240 / 0.86, 1276 / 0.07, 1277 / 0.01, 1278 / 0.16,

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

1384मिन/0.23, 1745/0.05, 1247/0.01, 1748/0.05, 1803/0.09, 1854/0.11, 1856/0.38, 1886/0.29, 1982/0.13 के वादीगण 1/2 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज है। आराजी खसरा नम्बर 2209/0.20 में वादीगण 1/2 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 4, 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार काबिज है। खसरा नम्बर 1815/0.50 में वादीगण का हिस्सा 1/2 था। जिसे वादीगण ने प्रतिवादी सं. 5 को विक्रय कर दिया है। आराजी खसरा नं. 1384मिन/0.6 (साविक 1199मिन/0.8) व वादीगण की तन्हा खातेदारी एवं कब्जे काश्त है।

आराजी खसरा नम्बर 1743/0.26 के 16 विस्वा हिस्सा पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को तन्हा पृथक से खातेदार काश्तकार राजस्व अभिलेख में गलत अंकित कर रखा है। इस समस्त भू–खण्ड में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का 1/2 का हिस्सा है। इस प्रकार भूखण्ड 16 विस्वा भाग पर इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के नाम गलत है। जो निरस्तनीय है। वादीगण 1/2 हिस्से पर इस समस्त भूखण्ड पर अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

सिवाय खसरा नम्बर 1384 मिन/0.6 आराजी उरोक्त वार्णित समस्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुस्तैनी आराजी है। स्व0 कौशल व वदले ने सम भाग अपने पिता मूली से उत्तराधिकार से प्राप्त की है। इस कारण से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 विवादित आराजी के निस्फ–निस्फ हिस्से के हिस्सेदार खातेदार चले आ रहे है। वदले का 1/2 हिस्सा वादीगण ने उत्तराधिकार से प्राप्त किया है। क्योकि वादीगण के पिता नवलसिंह का वदले के जीवन काल में ही देहान्त हो चुका है। वादीगण मृतक वदले के पुत्र वधु एवं पौत्र है। इसी प्रकार कौशल का 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण ने प्राप्त किया है। इन्द्राज खातेदारी मृतक वदले के नाम गलत हो रहे है। उन्हे कलमजन किया जाकार वादीगण 1/2 हिस्से आराजी पर अपने खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

सविक खसरा नम्बर 1199/1–4 के 1/3 हिस्से को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.10.1977 के द्वारा वादीगण के बाबा स्व0 वदले पुत्र मूली से मेवाराम पुत्र भगवत ने क्रय किया है। वादीगण का यह हिस्सा 8 विस्वा होता है, जो भू–प्रबन्ध विभाग ने वर्तमान खसरा नम्बर 1384 रकवा 0.29 में सम्मलित कर दिया है। इस प्रकार 1384/0.29 के 6/29 हिस्से पर वादीगण वदले के स्थान पर पृथक–पृथक से इन्द्राज खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है और शेष रकवा 23 एयर में वादीगण व प्रतिवादीगण उपरोक्तानुसार निस्फ–निस्फ हिस्से के खातेदारी काबिज है।

आराजी खसरा नम्बर 2209/0.20 एवं 1815/0.50 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण निस्फ–निस्फ हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज है। लेकिन वादीगण ने खसरा नम्बर 1815/0.50 का निस्फ–निस्फ प्रतिवादी संख्या 5 को तथा प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 2209/0.20 का सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दिया है। इस प्रकार वादीगण या तो खसरा नम्बर 1815/0.50 के 1/2 हिस्से में अपने नाम निस्फ में इन्द्राज करने के अधिकारी है। या फिर खसरा नम्बर 2209/0.20 में निस्फ भाग के खातेदारी कराने के अधिकारी है।

वादीगण वादग्रस्त आराजी एवं खसरा नम्बर 1815/0.50 के 1/2 हिस्से में निस्फ के व प्रतिवादीगण निस्फ हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज है। वदले व प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज खातेदारी गलत है जो निरस्तनीय है। वादीगण मृतक वदले के स्थान पर आराजी मुतनाजा में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। खसरा नम्बर 2209/0.20 के निस्फ भाग पर वादीगण खातेदारी दर्ज करापाने के अधिकारी है।

वादीगण ने दिनांक 03.05.2004 को वादीग्रस्त आराजी के विधिवत विभाजन हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो उन्होने स्पष्ट मना किया तथा वादीगण को आराजी से वेदखल करने की भी धमंकी दी गयी। यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी में सफल हो गया तो वादीगण को असमिति क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति नगद धन राशि से होना संभव नहीं है। इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करापाने के अधिकारी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह घोषित किया जावें की वादीगण वादग्रस्त आराजी एवं खसरा नम्बर 1815/0.50 के 1/2 हिस्से के सम भाग निस्फ हिस्सा के एवं प्रतिवादीगण निस्फ हिस्सा के खातेदार काश्तकार काबिज है। इन्द्राज खातेदारी स्व0 वदले के स्थान पर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। खसरा नम्बर 1815/0.50 की दीगर सूरत में आराजी खसरा नम्बर 2209/0.20 के निस्फ हिस्सा पर वादीगण खातेदारी दर्ज करापाने के अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी की वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधि अनुसार तकसीम की जावें तथा वादीगण के निस्फ हिस्सा का पृथक से कुरा बनाया जाकर पृथक से लगान निर्धारित कर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाये। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमांबदी हाल एवं नकल वयनामा दिनांक 26.10.77 प्रस्तुत किये।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जारिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 जरिये अभिभाषक उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 08.11.2005 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 21.02.2006 को प्रतिवादी संख्या 1,2,3 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 4 का जबाव न आने पर जबाव का अवसर समाप्त करते हुए प्रतिवादी संख्या 5 बावजूद सूचना के वाद अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात् दिनांक 22.04.2006 को प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी।

तनकी न0 1:– यह घोषित किया जावे की वादीगण विवादित आराजी वार्णित खण्ड संख्या 1 वाद पत्र एवं खसरा नम्बर 1815/0.50 के 1/2 हिस्से के सम भाग निस्फ हिस्से के एवं प्रतिवादीगण निस्फ हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

.....वादीगण

तनकी न0 2:– इन्द्राज खातेदारी वदले एवं प्रतिवादीगण के नाम गलत होने से काविल निरस्तनीय है। वादीगण मृतक वदले के स्थान पर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। खसरा नम्बर 1815/0.50 की दीगर सूरत में खसरा नम्बर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2209/0.20 के निस्फ हिस्सा पर वादीगण खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है।

.....वादीगण

तनकी न0 3 :– वाद पत्र में वार्णित आराजी का विधि अनुसार विभाजन करते हुए वादीगण का मुताबिक हिस्सा अलग से कुरा बनाया जावें।

.....वादीगण

तनकी न0 4 :– स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे की प्रतिवादीगण वादीगण को आराजी वार्णित खण्ड सं. 1 वादपत्र से वादीगण के हिस्सानुसार वेदखल न करें। वादीगण को काश्त करने से न रोके तथा आराजी मुतनाजा का हस्तान्तरण न करें।

.....वादीगण

तनकी न0 5 :– अन्य दादरसी जो न्यायोंचित हो।

.....वादीगण

तनकी न0 6 :– आ. ख. न. 1745, 1747, 1748, 1982 बाबत् पूर्व में ही दावा विचाराधीन होने के कारण यह दावा धारा 10 सी. पी.सी. के तहत काबिल खारिज के है।

.....प्रतिवादी

तनकी न0 7 :– वादीगण ने विभाजन के दावे में समस्त पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया है। इस कारण दावा वादीगण काबिल खारिज के है।

.....प्रतिवादी

साक्ष्यवादी में गवाह विजयसिंह का शपथ पत्र पेश हुआ दिनांक 17.04.2009 को उभयपक्षकारान के द्वारा एक राजीनाम प्रस्तुत किया गया है जो वाद तस्दीक शमिल पत्रावली है। इसके पश्चात् दिनांक 07.10.2009 को प्रार्थी कढेरू की तरफ से एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया जो दिनांक 13.07.2010 को खारिज किया गया तत्पश्चात् वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पेश हुआ। जो दिनांक 13.12.2012 कों स्वीकार किया गया दिनांक 19.03.2013 को संशोधित वाद पत्र पेश हुआ।

इसी दौरान दिनांक 17.07.2018 को वादीगण की ओर से वादिया किरनदेई के फोत होने पर प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. पेश हुआ जो स्वीकार कर वादिया किरनदेई के नाम के सामने मृतक शब्द अंकित करने के आदेश प्रदान किये गए क्योंकि उसके वारिसान पूर्व से ही रिकार्ड पर हैं। साथ ही उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो बाद तस्दीक संलग्न पत्रावली है।

पत्रावली पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई दोनों पक्षो के अभिभाषकगण द्वारा मुताविक राजीनामा दावा डिक्री करने का अनुरोध अपनी बहस में किया गया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया। तनकी वाईज निर्णय की विवेचना निम्न है।

तनकी न0 1:– दिनांक 17.07.2018 को उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा इस प्रकार होकर तस्दीक हुआ है कि आराजी खसरा नम्बर 1982/0.13 जो वर्तमान में वादीगण बलवीरसिंह, विजयसिंह, पालसिंह एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 चन्दू, बच्चू, हमवीर के नाम खातेदारी के इन्द्राज हैं। उक्त खसरा नम्बर प्रतिवादी सं. 7 कढ़ेरू की खातेदारी व कब्जे मे रहेगा और वादीगण बलवीर सिंह, विजयसिंह, पालसिंह का एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 चन्दू, बच्चू हमवीर का नाम कलमजन होगा। उक्त विचाराधीन प्रकरण में वार्णित अन्य खसरा नम्बरों में प्रतिवादी सं. 7 कढ़ेरू कोई आपत्ति किसी भी खसरा नम्बर की बाबत प्रस्तुत नहीं करेगा। राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील को भी वादीगण वापिस ले लेगे।

यहां यह तथ्य विचारणीय है कि वाद ग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में भी नियमित वाद हो चुके है जो वर्तमान में मा. राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है पूर्व मुकदमां की स्वीकारोक्ति उभयपक्षकारान द्वारा अपने राजीनामा में की है। इस कारण हस्तगत प्रकरण धारा 11 जा.दी. (पूर्व न्याय) से बाधित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जब तक माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण का निस्तारण नही किया जा सकता अथवा उच्च न्यायालयों से प्रकरण वापिस नहीं लिए जाते तब तक राजीनामा के आधार पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण डिक्री किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। राजीनामा में वार्णित खसरा नम्बर 1982/0.13 वाके ग्राम तुहिया की जमाबंदी संवत 1959–1962 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सम्मलित खातेदारी का नम्बर है जिससे प्रतिवादी कढेरू का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि मुताविक राजीनामा इस खसरा नम्बर का हस्तान्तरण किया जाता है तो निश्चित रूप से राजस्व हानि होगी जो मुद्रांक करायवंचन की श्रेणी में आती है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी न0 2:– तनकी संख्या 1 में पूर्ण विवेचना हो चुकी है। वादीगण हाल ख.नं. 1815 अथवा 2209 के निस्फ हिस्से पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी नही है। यह तनकी भी विरूद्ध वादीगण के निर्णित की जानी है।

तनकी न0 3:– वादग्रस्त हाल ख.नं. 1745–1747–1748–1982 की बावत पूर्व से ही विभाजन के दावे उभयपक्षों के मध्य विचाराधीन है। पूर्व वादो के लम्बित रहते वादीगण का यह विभाजन का दावा चलने योग्य नहीं है। यह तनकी भी विरूद्ध वादीगण के निर्णित की जाती है।

तनकी न0 4:– तनकी सं. 1,2,3 विरूद्ध वादीगण निर्णित हो चुकी है। जब वादग्रस्त आराजी पर वादीगण की खातेदारी ही प्रमाणित नहीं है। तथा प्रस्तुत राजीनामा राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित नही हैं । तो वाद ग्रस्त आराजी बावत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। यह तनकी भी विरूद्ध वादीगण के निर्णित की जाती है।

तनकी न0 5:– वादीगण किसी भी प्रकार का कोई अन्य अनुतोष प्राप्ति के अधिकारी नहीं है।

तनकी न0 6 :– पूर्व की तनकिओं में अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि आ.ख.न. 1745–1747–1748–1982 बाबत पूर्व में दावे विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन होने से यह दावा चलने योग्य नही है। वादीगण को राजीनामा प्रस्तुत अभिलेख से प्रभावित नही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। दावा वादीगण स्वीकार योग्य नही है। ये तनकी वाहक प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती है

तनकी न0 7:– वादीगण ने दावा तो आराजी के विभाजन का किया है। परन्तु समस्त सह कृषको को पक्षकार नही बनाया हे। इसके अतरिक्त इसी आराजी व इन्हे पक्षकारों के मध्य पूर्व से विभिन्न न्यायालयों में राजस्व दावे विचाराधीन है। वादीगण का यह दावा चलने योग्य नहीं है। यह तनकी वाहक प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती है।

अतः हमारे न्यायिक मत मे दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है किः–

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17.09.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,भरतपुर